संख्या 2504/आठ–1–08–61बैठक/03

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 15 अप्रैल, 2008

विषय : आवंटियों से लिए जाने वाले ब्याज की दर निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभिन्न अभिकरणों से समय–समय पर यह प्रत्योदन प्राप्त होते रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के भवनों/भूखण्डों के आवंटियों से किस दर पर ब्याज लिया जाये। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं :–

(1) अभिकरणों द्वारा अपने संसाधनों से विकसित की जाने वाली सम्पत्तियों की किश्तों पर ब्याज की दर प्राइम लैण्डिंग रेट+3.5 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(2) यदि अभिकरणों द्वारा किसी सम्पत्ति को किसी वित्तीय संस्था/शासन से ऋण लेकर विकसित किया जाता है, जो जिस दर पर अभिकरण द्वारा ऋण लिया गया है, उस सम्पत्ति पर देय धनराशि की किश्तों पर ब्याज की दर वित्तीय संस्था/शासन से प्राप्त ऋण की दर से 2 प्रतिशत से अधिक न होगी।

(3) आवंटी द्वारा किश्तों की धनराशि/एकमुश्त धनराशि समय पर भुगतान न कर पाने की स्थिति में (डिफाल्ट की स्थिति में), उक्त प्रस्तर–2 पर गणना की गयी ब्याज दर पर 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज और जोड़कर कुल ब्याज दर निकालते हुए, वितथी समय पर (डिफाल्ट पीरियड पर) चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना कर ब्याज धनराशि आवंटी से वसूल की जायेगी, परन्तु वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण पर दण्ड ब्याज की दर 2 प्रतिषत वार्षिक से अधिक होने पर अभिकरण अपने दण्ड ब्याज की दर तदपनुरूप 2 प्रतिशत से अधिक रख सकेंगे।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या 2504(1)/आठ–1–2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रतियां समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर.के. सिंह,
विशेष सचिव।